**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ**
**पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस**

अपील संख्या – 13/1999/75 एलआर एक्ट

1. ललचंद पुत्र गणपत जाति चमार निवासी ग्राम सुरजनसर तहसील नोहर।

––अपीलांट

**बनाम**

1. श्योकरण पुत्र लाधुराम (फौत)

1/1 औमप्रकाश पुत्र श्योकरण निवासी ग्राम फतेहपुर जिला सिरसा हरियाणा।

1/2 लालचंद पुत्र श्योकरण निवासी ग्राम फतेहपुर जिला सिरसा हरियाणा।

1/3 भागीरथ पुत्र श्योकरण निवासी ग्राम फतेहपुर जिला सिरसा हरियाणा।

2. राजस्थान सरकार।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 14.07.1983 न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश गंगानगर मुख्यालय हनुमानगढ़ प्रकरण अनवानी सरकार बनाम श्योकरण

उपस्थित :–

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट

श्री महेशचन्द शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1/1 से 1/3

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांकः–17.05.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि उपजिला धीश नोहर द्वारा दिनांक 25.10.77 को क्रमांक 436 के द्वारा जिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर ग्राम सुरजनसर के खसरा नं. 459 की 22.05 बीघा भूमि का आवंटन श्योकरण पुत्र लाधु के नाम किया गया, यह आवंटन गलत हुआ है क्योंकि श्योकरण ग्राम फतेहपुर हरियाणा का रहने वाला है। अतः आवंटन निरस्त किया जावें। यह वाद जिलाधीश श्रीगंगानगर से स्थानान्तरित हुआ जिस पर दिनांक 06.06.1979 को आदेश पारित कर श्योकरण को किया गया आवंटन खारिज कर वादग्रस्त आराजी को आराजीराज दर्ज कर दिया इसके उपरांत श्योकरण ने उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर कैम्प श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो स्वीकार होकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया। रिमाण्ड के उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा सरकार के वाद को खारिज करते हुए श्योकरण के आवंटन को बहाल कर दिया गया, जबकि दिनांक 06.06.1979 को वाद स्वीकार होने से श्योकरण का आवंटन निरस्त कर दिया और उक्त भूमि अपीलांट को आवंटन कर दी गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने

एकपक्षीय तौर पर अपीलांट को आवंटित भूमि रेस्पो0 को आवंटित कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलांट लालचंद को खसरा नं. 459 की 23.05 बीघा भूमि आवंटित है और उक्त भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। पूर्व मे रेस्पो0 सं. 1 को जो भूमि आवंटित की गई थी वो दिनांक 06.06.79 को खारिज कर दी गई और रकबा दर्ज कर दिया गया। रकबा राज दर्ज करने के उपरांत उक्त भूमि अपीलांट को आवंटित कर दी गई। अपीलांट को रकबा आवंटित किये जाने के अर्सा पश्चात अपीलांट के कब्जे काश्त के रकबा को निस्बत बिना अपीलांट सुने और बिना कोई नोटिस व सूचना दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पो0 सं. 1 ग्राम सुरजनसर तहसील नोहर का निवासी नही है वह ग्राम फतेहपुर जिला सिरसा का पुख्ता व स्थाई निवासी है तथा कृषि भूमि अलॉटमेंट नियमो के तहत भूमि आवंटन कराने का अधिकारी नही है। पूर्व मे जो आवंटन निरस्त करने का आदेश दिया गया था वो पूर्णतया सही एवं नियमानुसार था। रेस्पो0 सं. 1 सिर्फ बैनामी अलॉटी है। विवादग्रस्त भूमि का वास्तविक अलॉटी ख्यालीराम पुत्र नत्थुराम जाति जाट है, पूर्व मे उक्त भूमि उसके ही कब्जे काश्त मे रही है। श्योकरण का वोट फतेहपुर जिला सिरसा मे है। नियम 14(4) रेस्पो0 सं. 1 का पूर्व पारित आवंटन हर तरह से प्रभावित है। श्योकरण का पूर्व आवंटन किसी भी तरह से स्टेंड करने योग्य नही है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरसी 2001 पेज 118, आरआरडी 1995 पेज 592, आरआरडी 1994 पेज 612 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1/1 से 1/3 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि उपजिला धीश नोहर द्वारा दिनांक 25.10.77 को क्रमांक 436 के द्वारा जिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर ग्राम सुरजनसर के खसरा नं. 459 की 22.05 बीघा भूमि का आवंटन श्योकरण पुत्र लाधु के नाम किया गया, यह आवंटन गलत हुआ है क्योंकि श्योकरण ग्राम फतेहपुर हरियाणा का रहने वाला है। अतः आवंटन निरस्त किया जावें। यह वाद जिलाधीश श्रीगंगानगर से स्थानान्तरित हुआ जिस पर दिनांक 06.06.1979 को आदेश पारित कर श्योकरण को किया गया आवंटन खारिज कर वादग्रस्त आराजी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को आराजीराज दर्ज कर दिया इसके उपरांत श्योकरण ने उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर कैम्प श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो स्वीकार होकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया। रिमाण्ड के उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा सरकार के वाद को खारिज करते हुए रेस्पो0 के पिता श्योकरण के आवंटन को बहाल कर दिया गया। जो सही एवं विधिसम्मत है। विचारण न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। इसलिए अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि उपजिला धीश नोहर द्वारा दिनांक 25.10.77 को क्रमांक 436 के द्वारा जिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर ग्राम सुरजनसर के खसरा नं. 459 की 22.05 बीघा भूमि का आवंटन श्योकरण पुत्र लाधु के नाम किया गया, यह आवंटन गलत हुआ है क्योंकि श्योकरण ग्राम फतेहपुर हरियाणा का रहने वाला है, अतः आवंटन निरस्त किया जावें। यह वाद जिलाधीश श्रीगंगानगर से स्थानान्तरित होने पर दिनांक 06.06.1979 को आदेश पारित कर श्योकरण को किया गया आवंटन खारिज कर वादग्रस्त आराजी को आराजीराज दर्ज कर दिया इसके उपरांत श्योकरण ने उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर कैम्प श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो स्वीकार होकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया।

6. रिमाण्ड के उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा सरकार के वाद को खारिज करते हुए रेस्पो0 के पिता श्योकरण के आवंटन को बहाल कर दिया गया। जबकि अपीलांट के कथनानुसार दिनांक 06.06.1979 को पारित आदेश की पालना मे श्योकरण को हुये आवंटन निरस्त होने पर वादग्रस्त भूमि रकबाराज दर्ज कर दी गई और रकबाराज दर्ज होने पर उक्त भूमि अपीलांट को आवंटित कर दी गई परन्तु विचारण न्यायालय वादग्रस्त भूमि के संबंध मे दिनांक 06.06.1979 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील रिमाण्ड होने पर दिनांक 06.06.1979 को श्योकरण के निरस्त किये गये आवंटन को दिनांक 14.07.1983 को अपीलाधीन आदेश के जरिये बहाल कर दिया जबकि उक्त रकबा अपीलांट को आवंटित कर दिया परन्तु अपीलांट को अपीलाधीन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश पारित होने से पूर्व सुनवाई हेतु कोई अवसर नही दिया गया और ना ही अपीलांट को पक्षकार बनाया गया। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.1983 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट को बतौर पक्षकार संयोजित करते हुए साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.06.2018 को उपस्थित हो। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official